



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर, (भरतपुर)
जिला - भरतपुर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /24619686500
दिनांक: 07-08-2024
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 5047538462

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री राज सिंह इन्दोलिया पुत्र/पुत्री श्री शिव दयाल इन्दोलिया , माता का नाम - श्रीमती रति देवी, राजस्थान राज्य के जिला भरतपुर पता- गाँव/पोस्ट-बिजवारी, तह-भुसावर, जिला-भरतपुर के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उक्त श्री राज सिंह इन्दोलिया राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

03 उक्त श्री राज सिंह इन्दोलिया आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एस.21(37) एस.जे.ई./कम्यू./ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

4.: यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 240638150052

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अभिलेखों में निपुणता और एबो तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रावधान हैं।

उपखण्ड अधिकारी, भुसावर, भरतपुर

Signat

Digitally signed by SACHIN
YADAV
Date: 2024.08.07 17:33:58

01056169
Reason: Approved
Location: Rajasthan

